राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय: निजी विद्यालय शाखा (पीएसबी)

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

No.F.DE.15(428)/PSB/EWS/2026-27/ 685-692 दिनांक: 20/2/26

विषय: शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में परिभाषित ईडब्ल्यूएस/डीजी और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दिशानिर्देश।

(1). आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अनुसार, सभी निंजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विघालय (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) पड़ोस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और सीडब्ल्यूएसएन से संबंधित बच्चों को प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल / नर्सरी, प्री-प्राइमरी / केजी और प्राइमरी / कक्षा -1) की कक्षा में कम से कम 25% क्षमता को स्वीकार करने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

(2). शिक्षा निदेशालय, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 और RTE अधिनियम, 2009 के तहत **निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त** विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/वंचित समूह श्रेणी और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के लिए अकादमिक सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश स्तर कक्षा (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/KG और प्राइमरी/कक्षा-1) में COMPUTERIZED ONLINE ADMISSION SYSTEM के द्वारा प्रवेश की सुविधा दे रहा है। आवेदक https://ewsadmissions.delhi.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं या निदेशालय की वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in या www.edustud.nic.in पर जाकर होम पेज पर मौजूद "EWS/DG Admission" लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

3. प्रवेश -

(1). **ईडब्ल्यूएस श्रेणी** - (ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो / बीपीएल / एएवाई कार्ड धारक को और जो दिल्ली में रह रहा हो)।

(2). वंचित वर्ग **(डीजी) श्रेणी** -(एससी/एसटी/ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर/अनाथ/ट्रांसजेंडर और एचआईवी से पीड़ित बच्चे) के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में 22% सीटों (ईडब्ल्यूएस/डीजी) के लिए कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ.19/डीडीई(आईईडीएसएस)/एडमी.सेल/पीएसबी/2018/26923 दिनांक 23.07.2018 के अनुसार होगी।

(3). अधिसूचना संख्या F.19/DDE(IEDSS)/Admi.Cel/ PSB/2018/ 26923 दिनांक 23.07.2018 के अनुसार, आरक्षित 25% सीटों में से 3% सीटें दिव्यांग बच्चों (CWSN- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों) के लिए होंगी।

(4). शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. ने डीएसईएआर, 1973 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में कक्षा (कक्षाओं) के प्रवेश स्तर पर कम्प्यूटरीकृत लॉटरी द्वारा ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी में सीटों के ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया वर्ष 2016-17 से शुरू की, और वर्ष 2018-19 से इसे आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में भी विस्तारित किया गया।

(5). एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा प्राथमिक स्तर (पांचवीं कक्षा) तक मान्यता प्राप्त/अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अनुसार प्रवेश स्तर पर ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के प्रवेश के लिए कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में शामिल किया गया है, जिसके लिए एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा एक अलग परिपत्र/आदेश जारी किया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय केवल एमसीडी और एनडीएमसी के अधीन निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी की व्यवस्था कर रहा है। ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रवेश/सीटों से संबंधित शिकायतों का निपटारा एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा अपने-अपने स्तर पर किया जाएगा।

(6). एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन/प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार उसी फोन नंबर के माध्यम से किए जाएंगे।

(7). ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक आवेदक द्वारा बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन दाखिल किया जाएगा। एक बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन दाखिल करने पर, प्रवेश के लिए लॉटरी में सफल होने के बाद भी, बच्चे की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(8). आदेश संख्या DE. 15(1025)/PSB/2023/Pt file/7706-7711 दिनांक 01.09.23 के अनुसार, एक बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में EWS/DG/CWSN श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर प्रवेश के लिए केवल एक बार ही लाभ उठा सकता है। EWS/DG/CWSN श्रेणी के अंतर्गत पहले से प्रवेश प्राप्त बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में EWS/DG/CWSN श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकता है।

(9). उक्त ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम निम्न प्रकार है:

प्रवेश कार्यक्रम

ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का प्रारंभ	**21.02.2026**
ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**16.03.2026**

ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की श्रेणी के आवेदकों के लिए पहली कम्प्यूटरीकृत लॉटरी की तिथि की सूचना शीघ्र ही एक अलग परिपत्र में दी जाएगी।

(10). दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया आवश्यक वैध आय प्रमाण पत्र हो, और जो बीपीएल/एएवाई (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) हो, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अंतर्गत अपने बच्चे के प्रवेश के लिए इन निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आवेदन करने के लिए पात्र है।

(11). आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

"आय प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए।" आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए। बीपीएल/एएवाई (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) जिनके कार्ड दिल्ली सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किए गए हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अंतर्गत इन निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपने बच्चे के प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) वंचित वर्ग (डीजी) श्रेणी: -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर और एचआईवी से पीड़ित या प्रभावित सभी बच्चों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (घ) में परिभाषित वंचित वर्ग श्रेणी में माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (डी) में परिभाषित अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए वैध नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अनाथ (अधिसूचना संख्या एफ.15(172)/डीई/एसीटी/2010/4926-40 दिनांक 17.10.2012), ट्रांसजेंडर (अधिसूचना दिनांक 09.10.2014) और एचआईवी से पीड़ित या प्रभावित सभी बच्चे (अधिसूचना दिनांक 06.07.2017) डीजी श्रेणी में शामिल होंगे। डीजी श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे(CWSN): -

दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के अंतर्गत आवेदक के पास सरकारी अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी मूल्यांकन और दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अधिनियम के लागू होने के बाद भी उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध रहेगा। दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के अंतर्गत आवेदक को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(12). आयु सीमा के संबंध में: -ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) में प्रवेश के लिए पात्र आयु सीमा पिछले वर्ष के समान ही रहेगी-

कक्षा	**31.03.2026 तक आयु सीमा**
प्री-स्कूल/नर्सरी	**3-5 वर्ष** की आयु के बच्चों का जन्म **01.04.2021** से **31.03.2023** के बीच होना चाहिए।
प्री-प्राइमरी/केजी	**4-6 वर्ष** की आयु के बच्चों का जन्म **01.04.2020** से **31.03.2022** के बीच होना चाहिए।
प्राइमरी/कक्षा-1	**5-7** वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म **01.04.2019** से **31.03.2021** के बीच होना चाहिए।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु मानदंड: - दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के लिए सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, संरक्षण या अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1 ऑफ 1996) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद भी उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध रहेगा। दिनांक 11.09.2017 के आदेश एफ. 265/डीडीई (आईईडीएसएस)/एडमिन सेल/2017-18/2609-2613 (मानदंड दिव्यांगता वाला व्यक्ति, "एक ऐसा व्यक्ति जिसकी निर्दिष्ट दिव्यांगता चालीस प्रतिशत से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है") और एफ.213/डीडीई (आईईबी)/एडमिन के क्रम में। दिनांक 09.08.2023 के पत्र संख्या CELL/2022/6417-6431 के अनुसार, दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के लिए आयु मानदंड निम्नानुसार है: -

कक्षा	**31.03.2026 तक दिव्यांग बच्चों/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के लिए आयु सीमा**
प्री-स्कूल/नर्सरी	**3-7** वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म **01.04.2019** से **31.03.2023** के बीच होना चाहिए।
प्री-प्राइमरी/केजी	**4-8 वर्ष** की आयु के बच्चों का जन्म **01.04.2018** से **31.03.2022** के बीच होना चाहिए।
प्राइमरी/कक्षा-1	**5-9** वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म **01.04.2017** से **01.04.2021** के बीच होना चाहिए।

*सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के लाभ का दावा करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(13). उम्मीदवारों/आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट और सुपाठ्य स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होंगी। आवश्यक दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	**दस्तावेज**	**दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे**
1.	जन्म तिथि का प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज)	• जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र। • अस्पताल/सहायक नर्स एवं दाई (एएनएम) रजिस्टर रिकॉर्ड। • आंगनवाड़ी रिकॉर्ड • माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु की घोषणा।
2.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मामले में आय प्रमाण पत्र का	• दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। (दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.) के राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संबंधित श्रेणी में प्रवेश के लिए वैध माना

	प्रमाण।	जाएगा।) • पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले आवेदन किया गया वैध आय प्रमाण पत्र, जो वास्तव में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले जारी नहीं किया गया हो, विचार में नहीं लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पंजीकरण की अंतिम तिथि 16.03.2026 है, तो केवल 16.03.2026 से पहले जारी किए गए आय प्रमाण पत्र ही वैध माने जाएंगे। 16.03.2026 के बाद जारी किया गया कोई भी आय प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।) अथवा • पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले दिल्ली सरकार द्वारा जारी बीपीएल/एएवाई (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड) धारक। नोट:- पंजीकरण के दौरान अपलोड किए गए वैध आय प्रमाण पत्र/बीपीएल/एएवाई (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड) का सत्यापन दस्तावेज़ सत्यापन के समय किया जाएगा।
3.	वर्तमान आवासीय पते का प्रमाण। (निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़)	• माता-पिता के नाम पर राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम भी हो • बच्चे या उसके माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र • माता-पिता में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड • बिजली बिल/एमटीएनएल बिल/पानी बिल • माता-पिता या बच्चे में से किसी एक के नाम पर पासपोर्ट
4.	बच्चे की फोटो	• हाल में खींची गई एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो 6 महीने से अधिक पुरानी न हो • इमेज का फ़ाइल प्रकार jpeg या jpg होना चाहिए

		• न्यूनतम फ़ाइल आकार: 20 KB और अधिकतम फ़ाइल आकार: 50 KB • चौड़ाई: 350 px, ऊँचाई: 450 px और न्यूनतम DPI: 72

पंजीकरण अवधि के दौरान आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ पात्रता निर्धारण के उद्देश्य से अंतिम माने जाएंगे। दस्तावेज़ सत्यापन के समय केवल अपलोड किए गए दस्तावेज़ों पर ही विचार किया जाएगा। किसी भी अन्य दस्तावेज़ को बाद के किसी भी चरण में स्वीकार या ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

(14). ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए, अभिभावकत्व तभी मान्य होगा जब माता-पिता में से कोई भी जीवित न हो, और अभिभावक के पास अभिभावक की नियुक्ति से संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक अभिभावकत्व प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(15). उम्मीदवारों/आवेदकों को पंजीकरण फॉर्म में उल्लिखित सभी अनिवार्य विकल्प भरने होंगे।

(16). प्रवेश के समय कैपिटेशन फीस/दान की मांग पर प्रतिबंध।

कैपिटेशन शुल्क का अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का दान, अंशदान या भुगतान। राकेश गोयल बनाम मोंट फोर्ट स्कूल मामले में माननीय उच्च न्यायालय के एलपीए 196/2004 के आदेश और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) के अनुसार, कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी बच्चे का प्रवेश करते समय माता-पिता से कोई कैपिटेशन शुल्क या दान नहीं ले सकता। कोई भी विद्यालय या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और कैपिटेशन शुल्क लेता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक हो सकता है।

(17). कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से सीट आवंटन के लिए आवासीय पता मुख्य मानदंड है। हालांकि, यह देखा गया है कि माता-पिता/अभिभावक जानबूझकर गलत इलाके/उप-इलाके/उप-उप-इलाके का चयन करके मनचाहे विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए हेराफेरी करते हैं। इसलिए, आवासीय पते (अर्थात, इलाके/उप-इलाके/उप-उप-इलाके) से संबंधित विवरण भरने के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: -

आवासीय पता	
इलाका	क्षेत्र
उप-स्थान	गाँव/कॉलोनी/अपार्टमेंट/सेक्टर/पॉकेट/ब्लॉक/गली आदि।
उप-उप इलाका	

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी बच्चे के आवासीय पते के संबंध में गलत जानकारी पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए भरी गई है, तो बच्चे का आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(18). आवेदक द्वारा दस्तावेज़ जांच के समय या बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ जाली/नकली पाए जाने पर बच्चे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी और दस्तावेज़ जांच के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों में भिन्नता पाए जाने पर भी बच्चे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा दी गई जानकारी में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(19). किसी भी स्तर पर एकाधिक/दोहरा आवेदन पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आवेदक को आवंटित विद्यालय किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

(20). शिक्षा उप निदेशक (जिला) की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक निगरानी प्रकोष्ठ एवं सहायता केंद्र का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूर्व-वर्गीकृत श्रेणी/दिव्यांग बच्चों/दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों का निवारण करना और शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से चयनित सफल उम्मीदवारों का प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।

21. उपर्युक्त के अतिरिक्त, शिक्षा विभाग के मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस/डीजी और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत या प्रश्न के लिए हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर सभी कार्यदिवसों (सोमवार से शुक्रवार) को (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच) पर संपर्क किया जा सकता है।

22. एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा अलग-अलग की जाएगी।

उपरोक्त सभी निर्देश सभी संबंधित पक्षों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं और आदेश का अनुपालन न करने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

यह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है।

(राजपाल सिंह)
उप-निदेशक (शिक्षा)

No.F.DE.15(428)/PSB/EWS/2026-27/685-692 दिनांक. 20/02/26

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त (एमसीडी) के निजी सहायक को, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी करें कि वे निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश संबंधी शिकायतों और प्रश्नों के निवारण के लिए सहायक सूचनाएँ, हेल्पलाइन नंबर और व्यवस्था जारी करें।

2. सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के निजी सहायक को।

3. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली सरकार के निजी सहायक (निदेशक के निजी सहायक) को।

4. एमसीडी के शिक्षा निदेशक को, उनसे अनुरोध है कि वे सहायक प्रवेश सूचना जारी करें।

5. एनडीएमसी के शिक्षा निदेशक को, उनसे अनुरोध है कि वे सहायक प्रवेश सूचना जारी करें।

6. निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश संबंधी शिकायतों और प्रश्नों के निवारण के लिए सहायक नंबर और व्यवस्था जारी करें।

7. सभी डीडीई (जिला) को आवश्यक अनुपालन के लिए।

8. अनुभाग अधिकारी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शाखा) से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक परिपत्र के रूप में अपलोड करें।

9. गार्ड फाइल।

(राजप्रताप सिंह)
उप-निदेशक (शिक्षा)